उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A Govt. of Uttarakhand Undertaking)
CIN : U40109UR2001SGC025867
Email ID: edhr@upcl.org, Website: upcl.uk.gov.in

पत्रांक...../अधि0निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/S-I दिनांक 06/11/26

विषय :– **मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा सं0–250/2026 के अनुपालन में प्रत्येक वर्ष 28 नवम्बर को उत्तराखण्ड राज्य के समस्त विभागों/कार्यालयों/निगमों/निकायों/शैक्षणिक संस्थानों/प्रतिष्ठानों में आपदा प्रबंधन दिवस मनाये जाने के सम्बन्ध में।**

समस्त मुख्य अभियन्ता(वितरण),
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0,

.....।

महत्वपूर्ण

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, आपदा प्रबंधन अनुभाग–01, देहरादून के पत्रांक उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 983/XVIII-B-1/2025-8(14)/2026(e-101545) दिनांक 02.11.2026 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासन पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 250/2026 के अनुपालन में वर्ष 2023 के उत्तरकाशी सिल्क्यारा टनल हादसे में फंसे 41 श्रमिकों के सफल रेस्क्यू की ऐतिहासिक उपलब्धि की स्मृति में **प्रत्येक वर्ष 28 नवम्बर** को सम्पूर्ण राज्य में **"आपदा प्रबन्धन दिवस"** के रूप में मनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा आपदा तैयारियों को मजबूत करने हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। कारपोरेशन स्तर पर शासन के उक्त पत्र में उल्लिखित दिशा–निर्देशों के सम्बन्ध में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है।

अतः आपसे अनुरोध है कि शासन द्वारा जारी महत्वपूर्ण निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करवाते हुए, अपने–अपने अधीनस्थ कार्यालयों में **दिनांक 25 से 28 नवम्बर, 2026 तक** आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों, सुरक्षात्मक उपायों एवं तैयारियों को पूरी गम्भीरता से सम्पन्न करवाते हुए कृत कार्यवाही की विस्तृत आख्या/फोटोग्राफ्स इस कार्यालय को उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।

संलग्नक – यथोपरि।

(डॉ0 आर0 जे0 मलिक)
अधिशासी निदेशक(मा0सं0)

पत्रांक 5319 /अधि0निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/S-I तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. निदेशक(वितरण एवं परियोजना/वित्त) उपाकालि, वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
3. अधिशासी निदेशक(तकनीकी), उपाकालि, वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
4. कम्पनी सचिव, उपाकालि, वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उपाकालि, ...।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उपाकालि, ...।
7. अधिशासी अभियन्ता(सू0प्रौ0), उपाकालि, वि0क्रॉ0वि0गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून को उपाकालि की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(डॉ0 आर0 जे0 मलिक)
अधिशासी निदेशक(मा0सं0)

पत्रांक983/XVIII-B-1/2025-8(14)/2026(e-101545)

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/विशेष प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।

3. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल, उत्तराखण्ड

4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड

5. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/निगम/निकाय/शैक्षणिक संस्थान/प्रतिष्ठान, उत्तराखण्ड ।

आपदा प्रबंधन अनुभाग–01 देहरादूनः दिनांकः 07 अक्टूबर, 2026

विषय :– मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा सं0 250/2026 के अनुपालन में प्रत्येक वर्ष 28 नवम्बर को उत्तराखण्ड राज्य के समस्त विभागों/कार्यालयों/निगमों/निकायों/शैक्षणिक संस्थानों/प्रतिष्ठानों आदि में आपदा प्रबंधन दिवस मनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में प्रत्येक वर्ष 28 नवम्बर को "आपदा प्रबन्धन दिवस" के रूप में आयोजित किये जाने की घोषणा (घोषणा संख्या 250/2026) की गयी है।

2– जैसा कि विदित है कि वर्ष 2023 में जनपद उत्तरकाशी के सिल्क्यारा टनल के कुछ भाग धंसने के कारण टनल के भीतर 41 श्रमिक 17 दिनों तक फंसे हुए थे। इनके सकुशल रेस्क्यू हेतु उत्तराखण्ड सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों/एजेन्सियों, कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, कई राज्यों के संगठनों तथा राज्य के विभिन्न विभागों के साथ उच्च स्तरीय समन्वय, नवीनतम वैज्ञानिक तकनीक तथा उत्कृष्ट एवं कुशल रणनीति अपनाते हुए 28 नवम्बर, 2023 को सभी 41 श्रमिकों को सकुशल बाहर निकाला गया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि की स्मृति में तथा उत्तराखण्ड जैसे आपदा के प्रति अत्यन्त संवेदशील राज्य को आपदा के प्रति सशक्त/जागरूक/सक्षम बनाये रखने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा 28 नवम्बर को प्रतिवर्ष "आपदा प्रबन्धन दिवस" के रूप में मनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

3– इस क्रम में प्रत्येक वर्ष 28 नवम्बर को "आपदा प्रबन्धन दिवस" उत्तराखण्ड राज्य के समस्त विभागों/ कार्यालयों/ निगमों/ निकायों/शैक्षणिक संस्थानों/ प्रतिष्ठानों आदि के साथ–साथ राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालयों, तहसील मुख्यालयों, विकास खण्ड

मुख्यालयों आदि में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। प्रस्तावित कार्यक्रमों का विवरण निम्नवत है –

(1) समस्त कार्यालयों द्वारा किये जाने वाले कार्य –

i. उपरोक्त वर्णित सभी स्थानों पर विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा विभिन्न प्रकार के खतरों/आपदाओं की संभावना/पहचान हेतु आवश्यकतानुसार 3 से 5 सदस्यीय एक समिति का गठन किया जायेगा। इस समिति द्वारा कार्यालय/भवन से संबंधित विभिन्न प्रकार के खतरों/सम्भावित आपदाओं आदि की संभावना पर विचार किया जायेगा। सामान्य तौर पर विद्युत के कारण आग, सामान्य आग एवं अन्य आपदायें जैसे भूस्खलन, बाढ़, भूकम्प, भवन ध्वस्त होना, भवन पर पेड़ आदि का गिरना, बिजली गिरना, भवन में मलबा भरना, आदि घटनाओं की संभावना पर विचार किया जायेगा तथा इससे बचाव हेतु उपाय सुझाया जायेगा।

ii. समिति के गठन का कार्य अनिवार्य रूप से नवम्बर के प्रथम सप्ताह तक कर लिया जाये ताकि समिति को समय से कार्य पूर्ण करने का समय मिल सके। उपरोक्तानुसार, समिति की संस्तुतियों पर विचार करते हुए कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा खतरों/आपदा से बचाव हेतु पर्याप्त उपाय किया जाये।

iii. खतरों का आंकलन करते समय समिति द्वारा यह भी देखा जाये कि आग लगने की स्थिति में कार्यालय में किस प्रकार की तैयारियां की गयी हैं ? कार्यालय में कितनी संख्या में और कहां–कहां अग्निशमन उपकरण लगाये गये हैं ? उनकी वैधता की तिथि, रिफिल कराये जाने की स्थिति, नजदीक में फायर हाईड्रेण्ट कहां स्थापित है ? क्या प्रत्येक मंजिल पर अग्निशमन उपकरण लगाये गये हैं ? आग लगने की स्थिति में पानी कहां से लाया जा सकता है ? क्या कार्यालय के कार्मिकों को अग्निशमन उपकरणों के उपयोग के बारे में जानकारी प्रदान की गयी है। कार्यालय में खड़े वाहन/पार्किंग में खड़े वाहनों में आग लगने की स्थिति से किस प्रकार से सुरक्षा के उपाय किये जा सकते हैं, आदि उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा समुचित निर्देश जारी किया जाए। अग्नि से सुरक्षा के लिए अग्निशमन विभाग द्वारा विस्तृत आदेश निर्गत किया जाए, ताकि विभिन्न विभागों में आग से सुरक्षा के समुचित उपाय किया जाना संभव हो सके।

iv. समिति द्वारा इस तथ्य पर भी विचार किया जाए कि विद्युत से कार्यालय में क्या–क्या खतरे हो सकते हैं, उनसे बचाव हेतु क्या–क्या उपाय किया जा सकता है, इस बारे में बचाव के उपाय/आवश्यक कार्यवाही के बारे में संस्तुति की जाए। UPCL द्वारा इस बारे में पृथक से आदेश जारी किया जाए।

v. भूकम्प आने की स्थिति में कार्यालय भवन से किस प्रकार एवं किन रास्तों से बाहर आना है, कहां एकत्रित होना है, भवन में आपातकालीन निकासी हेतु संकेतक लगाये गये हैं या नहीं जैसे विषयों पर भी समिति द्वारा स्पष्ट रूप से उपाय सुझाया जाए। उक्त के अतिरिक्त भूकम्प आने पर बाहर न आ पाने की स्थिति में कार्मिकों को ड्रॉप, कवर, होल्ड ऑन का अभ्यास कराया जाए। कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा इस बारे में समुचित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

vi. भूकम्प से बचाव हेतु उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा भी पृथक से आदेश निर्गत किया जाए।

उपरोक्त विवरण सुविधा की दृष्टि से वर्णित किये जा रहे हैं। समिति से

अपेक्षित है कि वह आग, विद्युत, भूकंप तथा अन्य आपदाओं आदि से सुरक्षा हेतु विस्तृत रिपोर्ट संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करें।

vii. App Installation:-

a. **BhuDev App -** उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा भूकम्प आने की स्थिति में पूर्व चेतावनी प्रणाली (Early Warning System) विकसित किया गया है। इसके माध्यम से भूकम्प आने की स्थिति में 5 से 30 सेकण्ड तक पूर्व जानकारी मिल जाती है। इसका लाभ उठाने के लिए सभी कार्मिकों से उनके मोबाइल में अनिवार्य रूप से BhuDev App डाउनलोड कराया जाये ताकि समय से उन्हें भूकम्प के बारे में Early warning प्राप्त हो सके तथा वह अपना बचाव कर सके।
b. **Sachet App-** NDMA/भारत सरकार द्वारा विकसित Sachet App को सभी कार्मिकों के मोबाइल पर डाउनलोड कराया जाये ताकि कार्मिकों को समय से मौसम की जानकारी मिलती रहे तथा आवश्यकतानुसार समय से मौसम सम्बन्धी प्रतिकूल स्थिति से अपना बचाव कर सके।
c. सभी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से 25–27 नवम्बर के मध्य सुविधाजनक तिथि को सभी प्रकार के खतरों/आपदाओं की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए मॉक ड्रिल कराया जाये ताकि वास्तविक खतरों/आपदा की स्थिति में प्रत्येक कार्मिक बेहतर तरीके से अपना बचाव कर सकें तथा अपने सहकर्मियों को मदद पहुंचा सकें, उनका सहयोग कर सकें। उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा मॉक ड्रिल से सम्बन्धित मानक संचालन प्रणाली (SOP) विभागों/कार्यालयों को प्रेषित की जाये। समस्त कार्यालयों में 28 नवम्बर को "आपदा प्रबन्धन दिवस" के मुख्य कार्यक्रम आयोजित किये जायें।

(2) राज्य स्तर पर आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रम –

प्रतिवर्ष 28 नवम्बर को राज्य स्तर पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाये। इस कार्यक्रम मे मा0 श्री राज्यपाल, मा0 मुख्यमंत्री जी, राज्य के महत्वपूर्ण महानुभावों/वरिष्ठ अधिकारियों तथा आपदा प्रबन्धन से जुड़े केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के सभी महत्वपूर्ण विभाग/सस्थानो के अधिकारियों को आमंत्रित किया जाए। इस कार्यक्रम में सिल्क्यारा टनल हादसा की सफलता के बारे मे चर्चा की जाये तथा राज्य में कभी भी किसी भी स्थान पर होने वाली आपदा के लिए तैयार रहने के लिए रणनीति बनायी जाये। इस कार्यक्रम के अवसर पर आपदा से राहत एवं बचाव हेतु उपयोग मे लाये जाने वाले उपकरण की प्रदर्शनी भी लगायी जाये ताकि सभी को उपकरणों की उपलब्धता, उसके उपयोग व संचालन की प्रक्रिया आदि के बारे में जानकारी मिल सके।

राज्य स्तरीय इस कार्यक्रम में किसी महत्वपूर्ण विषय पर राष्ट्रीय/राज्य स्तर का सेमिनार कराया जा सकता है तथा इसमें भारत सरकार में उच्च पदासीन महानुभावों /उच्च अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जा सकता है। इस अवसर पर आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में राज्य की अब तक की उपलब्धियों तथा भविष्य के लिए रणनीति बनाये जाने पर विचार–विमर्श किया जा सकता है।

(3) जनपद स्तर पर कराये जाने वाले कार्यक्रम –

प्रत्येक जनपद में जनपद की सुविधा के अनुसार 25–27 नवम्बर के मध्य किसी

एक दिन न्यूनतम 08–10 स्थानों पर मॉक ड्रिल का आयोजन कराया जाये। यह मॉक ड्रिल चिकित्सालय/विद्यालय/कार्यालय/पावर प्रोजेक्ट/टनल/बड़े कार्यालयों/ भीड़ भाड़ वाले स्थानों आदि में करायी जा सकती है। 28 नवम्बर को जनपद मुख्यालय में किसी बड़े मैदान में अथवा बड़े सभागार कक्ष में यह कार्यक्रम कराया जाये। इसमें निम्न कार्यक्रम समायोजित किया जा सकता है:–

i. आपदा से बचाव हेतु प्रयोग मे लाये जाने वाले कार्य, परम्परागत तथा अत्याधुनिक उपकरणों की प्रदर्शनी लगायी जाये ताकि जनपद के अधिकारियों तथा जन सामान्य को इन उपकरणों की उपलब्धता, इनके उपयोग तथा उपयोग की विधि की जानकारी प्राप्त हो सके तथा आवश्यकता पड़ने पर इनका उपयोग किया जा सके।

ii. विगत 10–15 वर्षों में मानसून अवधि में जनपद में किस प्रकार की आपदा आयी, जनपद द्वारा किस प्रकार से कार्य किये गये तथा उनमें किस प्रकार की कमियां पायी गयी, साथ ही भविष्य में यदि इसी प्रकार की या इससे बड़ी आपदा आती है तो किस प्रकार से कार्य किया जायेगा, इस हेतु रणनीति बनायी जाये।

iii. प्रभारी अधिकारी (आपदा प्रबन्धन) द्वारा आपदा से राहत एवं बचाव हेतु जनपद मे उपलब्ध सभी प्रकार के उपकरणों का विवरण, उनकी संख्या तथा उसके उपयोग के बारे मे संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जाये। यह भी देखा जाये की जनपद मे उपलब्ध उपकरणों का पूर्ण विवरण IDRN पोर्टल तथा ESRI पोर्टल पर उपलब्ध है कि नहीं? यदि उपकरणों का विवरण IDRN पोर्टल तथा ESRI पोर्टल पर अपलोड नहीं है तो इनका समुचित विवरण अपलोड कराया जाये।

iv. जनपदों मे उपकरणों की कमी विभागीय स्तर से बजट की उपलब्धता को देखते हुए पूर्ण कराया जाये। यदि विभागीय स्तर से राहत/बचाव उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित होने मे परेशानी हो तो SDRF/SDMF के तैयारी एवं क्षमता विकास मद से उपकरण क्रय किये जाने हेतु जिलाधिकारी से धनराशि की मांग की जाये तथा आवश्यक सभी प्रकार के उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाये।

v. जनपद स्तर पर प्रदर्शनी के दौरान सभी उपकरणों के क्रियाशील होने का परीक्षण किया जाये। यदि कोई कमी पाई जाती है तो उपकरणों की मरम्मत/सुधारीकरण हेतु समुचित कार्यवाही की जाये।

vi. जिन उपकरणों की मरम्मत/सुधारीकरण सम्भव नहीं है, उन उपकरणों को समिति के माध्यम से मूल्यांकन कराते हुए नीलाम करवाया जाये तथा प्राप्त धनराशि को निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराया जाये।

vii. जनपद स्तर पर आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रम में आपदा के समय प्रशासन का सहयोग करने वाले स्वंयसेवी संगठनों/संस्थाओं/समितियों/व्यापार मंडल/उद्योग समूह/युवा मंगलदल/महिला मंगलदल/आपदा मित्र/युवा आपदा मित्र/आपदा सखी को भी आमंत्रित किया जाये। आपदा की स्थिति में और अच्छे तरीके से किस प्रकार कार्य किया जा सकता है, किस प्रकार से लोगों को अधिक राहत प्रदान किया जा सकती है? किस प्रकार से लोगों को आपदा से होने वाली परेशानी से बचाया जा सकता है? इस बारे में उनके सुझाव लिये जाए तथा उस पर सकारात्मक रूप से विचार करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाये।

viii. आपदा के समय उपरोक्त लोगों का किस प्रकार से सहयोग लिया जा सकता है, इस संबंध में रणनीति बनायी जाये तथा आपदा के समय उसका सदुपयोग किया जाये।

(4) तहसील स्तर पर आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रम –

i. जनपद स्तर की भांति ही उपरोक्तानुसार तहसील स्तर पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाये तथा जनपद मुख्यालय की भांति ही विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की जाये।

ii. तहसील स्तर पर गठित QRT (एस0डी0आर0एफ0, एन0डी0आर0एफ0, पुलिस, अग्निशमन, आपदा मित्र, युवा आपदा मित्र, आपदा सखी, भूतपूर्व सैनिक, वर्दीधारी सेवाओं के भूतपूर्व कार्मिक, पुलिस तथा सी0ए0पी0एफ0 के सेवानिवृत्त कार्मिक, एन0सी0सी0, एन0एस0एस0, सी0ए0पी0एफ0, नेहरू युवा केन्द्र, भारत स्काउट एवं गाइड, मेरा युवा भारत, स्वयं सहायता समूह, रेडक्रॉस आदि) के अधिक से अधिक सदस्यों (न्यूनतम 50 से 100 सदस्य तक) को अनिवार्य रूप से बुलाया जाये।

iii. QRT के सभी सदस्यों द्वारा आपदा से राहत एवं बचाव हेतु तहसील स्तर पर उपलब्ध विभिन्न उपकरणों/संसाधनों की प्रदर्शनी लगाते हुए उनकी कार्यप्रणाली/उपयोगिता के बारे में अवगत कराया जाये।

iv. QRT के सभी सदस्यों को 25–27 नवम्बर के मध्य किसी एक दिन प्रशिक्षण प्रदान किया जाये एवं तहसील क्षेत्रान्तर्गत दो से तीन स्थानों पर मॉकड्रिल का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

v. QRT के सभी सदस्यगण आपसी सहमति से इस बारे में समुचित उपाय करें कि वर्ष भर यह सभी आपस में एक–दूसरे के सम्पर्क में रहें। तहसील क्षेत्रान्तर्गत किसी भी प्रकार की आपदा आने की स्थिति में QRT के सदस्यों का किस प्रकार से सहयोग लिया जाना है तथा किस प्रकार से राहत एवं बचाव कार्य किया जाना है, इस बारे में रणनीति अपनायी जाय।

vi. QRT के सभी सदस्यों का एक व्हॉटसऐप ग्रुप बनाया जाय तथा समय–समय पर आपदा से सम्बन्धित विवरण इस ग्रुप में साझा किया जाये। समय–समय पर डी0ई0ओ0सी0 से जारी एलर्ट भी अनिवार्य रूप से QRT के सदस्यों के इस ग्रुप में साझा किया जाये, ताकि सभी मौसम की नवीनतम सूचनाओं से भिज्ञ रहें तथा आवश्यकतानुसार समुचित कार्यवाही कर सकें।

(5) विकासखण्ड स्तर पर कार्यक्रम–

जनपद एवं तहसील स्तर की भांति ही उपरोक्तानुसार विकासखण्ड स्तर पर भी कार्यक्रम का आयोजन निम्नानुसार किया जाये:–

i. प्रत्येक विकासखण्ड में 25–27 नवम्बर के मध्य बी0डी0सी0 बैठक का आयोजन किया जाये तथा समस्त बी0डी0सी0 सदस्यों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधित जानकारी साझा की जाये।

ii. प्रत्येक विकासखण्ड में दिनांक 25–27 नवम्बर के मध्य सामुदायिक सहभागिता पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जाये। इन कार्यक्रमों में आपदा जागरूकता रैली एवं जनसम्पर्क अभियान में नाटक/पोस्टर/जागरूकता कार्यक्रम, स्थानीय स्वयंसेवकों को प्राथमिक उपचार एवं बेसिक रेस्क्यू का प्रशिक्षण तथा आपदा जोखिम मानचित्र (Hazard Map) का प्रदर्शन एवं उससे सम्बन्धित जानकारी साझा की जाये।

iii. विकासखण्डों में कार्यक्रम आयोजित किये जाते समय आपदा प्रबन्धन से जुड़े एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0, सेना, पुलिस, अग्निशमन विभाग,

आई0टी0बी0पी0, एस0एस0बी0 आदि के विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाये ताकि उनके अनुभवों का लाभ जनमानस को प्राप्त हो सके।

(6) SDRF/NDRF/अग्निशमन विभाग/पुलिस विभाग –

i. SDRF/NDRF/अग्निशमन विभाग/पुलिस द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों का स्थान एवं स्वरूप जिलाधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा आपसी सहमति से निर्धारित किया जाये। इनके कार्यक्रम जनपदों/तहसीलों/विकासखण्डों के साथ कराये जा सकते हैं अथवा पृथक से भी कराये जा सकते हैं।
ii. बचाव एवं राहत एजेंसियों द्वारा विभागवार जागरूकता एवं प्रशिक्षण सत्र आयोजित कराया जाये।
iii. राहत एवं बचाव एजेन्सियों द्वारा राहत एवं बचाव उपकरणों तथा उनके द्वारा पूर्व में किये गये बचाव कार्यों की फोटो/वीडियो के माध्यम से प्रदर्शनी लगाते हुए समुदाय को जागरूक किया जाये।
iv. अग्निशमन विभाग द्वारा बड़े प्रतिष्ठानों का सुरक्षा ऑडिट करवा लिया जाये तथा चैकलिस्ट के अनुसार सत्यापन कर लिया जाये।
v. अग्निशमन विभाग द्वारा अपने विभाग की इनवैंटरी का सत्यापन करते हुए उसका अद्यतन कर लिया जाये।

(7) शिक्षा विभाग–

25–27 नवम्बर, 2026 के मध्य विद्यालयों (जहां विद्यार्थियों की संख्या 100 से अधिक हो) में उनकी सुविधानुसार एक दिवसीय मॉक ड्रिल आयोजित की जाये। इस मॉक ड्रिल में राहत एवं बचाव कार्यों से संबंधित एजेंसियों/विभागों जैसे एस0डी0आर0एफ0/एन0डी0आर0एफ0/पुलिस/अग्निशमन/सेना/आई0टी0बी0पी0/एस0एस0बी0/रेडक्रॉस/भारत स्काउट एण्ड गाइड/मेरा युवा भारत/एन0सी0सी0 आदि के अधिकारियों को जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक से समन्वय करते हुए आमंत्रित किया जाये ताकि इनके अनुभवों का लाभ विद्यार्थियों को प्राप्त हो सके। मॉक ड्रिल गतिविधियों में आपदा मित्रों एवं QRT की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाये। दिनांक 28 नवम्बर को विद्यालय स्तर पर निम्नवर्णित कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है –

i. विद्यालय स्तर पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन–

a. आपदा प्रबन्धन विषय वाद–विवाद प्रतियोगिता।
b. आपदा प्रबन्धन विषय पर निबन्ध प्रतियोगिता।
c. आपदा से बचाव हेतु जागरूकता /पोस्टर/स्लोगन प्रतियोगिता ।
d. आपदा विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन।

ii. 28 नवम्बर को विद्यालय स्तर पर निम्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कराये जा सकते हैं –

a. "आपदा में क्या करें, क्या न करें" विषय पर सरल एवं रोचक शिक्षण सत्र का आयोजन।
b. अग्निशमन एवं प्राथमिक उपचार का व्यावहारिक प्रदर्शन।
c. प्राथमिक उपचार (यथाः पट्टी बाँधना/सी0पी0आर0 आदि) का व्यावहारिक प्रशिक्षण।
d. सम्भावित आपदाओं की पहचान एवं आपदा के समय उचित प्रतिक्रिया एवं सुरक्षित निकासी।
e. भौगोलिक स्थिति के आधार पर आपदाओं (यथा फ्लैश फ्लड, भूकम्प, भूस्खलन, वनाग्नि, GLOF तथा शहरी बाढ़) की स्थिति में विद्यालय में क्या–क्या खतरे हो सकते हैं तथा उनसे बचाव हेतु विद्यार्थियों से सुझाव प्राप्त किया जाये।
f. राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण किस प्रकार से कार्य करते हैं, इस पर परिचर्चा।

(8) उच्च शिक्षा से सम्बन्धित संस्थान (यथा विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, प्रबन्धन कॉलेज आदि) हेतु प्रस्तावित गतिविधियां –

i. प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, प्रबन्धन कॉलेज आदि में प्रदेश में वर्तमान में संभावित आपदाओं तथा उनसे बचाव हेतु क्या–क्या व्यवस्थाऐं हैं, इस पर चर्चा की जाये।
ii. आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 तथा आपदा प्रबन्धन (संशोधन) अधिनियम, 2025 में आपदा प्रबन्धन हेतु क्या–क्या उपाय किये गये हैं, आदि पर चर्चा की जायें।
iii. राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण किस प्रकार से कार्य करते हैं, इस पर चर्चा।
iv. मा0 प्रधानमंत्री जी के आपदा जोखिम न्यूनीकरण के दस सूत्रीय एजेण्डा बिंदु पर चर्चा की जाये तथा अपने संस्थान में इनको लागू कराये जाने हेतु आवश्यक उपाय किये जाये।
v. आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेण्डई रूपरेखा (Sendai Framework) पर चर्चा की जाये तथा इसमें सुझाये गये उपायों को संस्थान में लागू किये जाने हेतु रणनीति अपनायी जाये।
vi. उपरोक्त सभी में किस–किस प्रकार की आपदा की संभावना है तथा इन आपदाओं से बचाव हेतु संस्थानों द्वारा क्या–क्या उपाय किये गये हैं? आपदा से बचाव हेतु क्या–क्या कार्य किया जाना है? आदि पर चर्चा की जाये तथा संस्थाध्यक्ष के माध्यम से आवश्यक व्यवस्थाऐं सुनिश्चित करायी जाये।
vii. उपरोक्त सभी में अनिवार्य रूप से दिनांक 28 नवम्बर को मॉकड्रिल का आयोजन किया जाये।

(9) स्वास्थ्य विभाग–

i. समस्त शासकीय/निजी चिकित्सालयों एवं स्वास्थ्य संस्थानों में आन्तरिक एवं बाह्य

जोखिमों, अग्नि सुरक्षा, शॉर्ट सर्किट, बाढ़, भूकम्प, CBRNE, सुरक्षित एकत्रीकरण क्षेत्र तथा "क्या करें एवं क्या न करें" विषयों पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाये।

ii. विभिन्न प्रकार की आपदाओं हेतु विषयवार गतिविधियों/प्रशिक्षणों का विवरण तालिका के रूप में तैयार किया जाये।

iii. प्रत्येक चिकित्सालय की सुविधा एवं उपलब्धता के अनुसार 25–27 नवम्बर के मध्य मॉक ड्रिल आयोजित की जाये।

iv. प्रत्येक चिकित्सालय की आपदा प्रबन्धन कार्य योजना विकसित करते हुए उस योजना की मुख्य क्रियाकलापों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाये।

v. चिकित्सकों के पृथक–पृथक दल गठित कर विंगवार/इकाईवार चर्चा एवं प्रशिक्षण आयोजित किया जाये।

vi. आपदा चिकित्सा एवं प्राथमिक उपचार सम्बन्धी जानकारी समुदाय के साथ साझा की जाये।

(10) पशुपालन विभाग –

i. पशुपालन विभाग द्वारा पशुधन की सुरक्षा एवं आपदा के दौरान आवश्यक बचाव उपायों से सम्बन्धित जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की जाये।

ii. आपदा की स्थिति में पशुओं की सुरक्षित निकासी एवं आश्रय की योजना तैयार की जाए तथा चारे के आपातकालीन भण्डारण की व्यवस्था की जानकारी समुदाय को दी जाये।

iii. आपदा–जनित रोगों की रोकथाम हेतु पशुओं का टीकाकरण अभियान संचालित किया जाये।

iv. पशु चिकित्सकों एवं पशु सखियों को आपातकालीन पशु चिकित्सा का प्रशिक्षण दिया जाये।

v. समस्त पशु चिकित्सालयों में 25–27 नवम्बर के मध्य मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाये।

vi. विभाग द्वारा पशुधन की सुरक्षा एवं आपदा के दौरान सूचना के आदान–प्रदान हेतु विभाग के विभिन्न आपातकालीन दूरभाष न0 का प्रचार–प्रसार किया जाये।

(11) वन विभाग –

i. वन विभाग द्वारा विभागीय स्तर पर आपदा जागरूकता एवं तत्सम्बन्धी गतिविधियाँ आयोजित की जाये।

ii. वन कर्मियों, फायर वॉचरों एवं वन पंचायतों को वनाग्नि की रोकथाम एवं शमन का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाए तथा फायर लाइन निर्माण एवं नियन्त्रित दहन का प्रदर्शन किया जाए।

iii. भूस्खलन–प्रवण क्षेत्रों में वृक्षारोपण/बायो–इंजीनियरिंग उपायों द्वारा मृदा स्थिरीकरण का प्रदर्शन तथा वन पंचायतों के सहयोग से सामूहिक पौधरोपण किया जाए।

iv. वन पंचायत की खुली बैठक का आयोजन कर पंचायत प्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों को वन क्षेत्र में आपदा के समय सुरक्षित स्थान, निकासी मार्ग एवं चेतावनी संकेतों के सम्बन्ध में जागरूक किया जाये।

v. आपदा के दौरान घायल वन्यजीवों के बचाव एवं मानव–वन्यजीव संघर्ष की स्थिति में समन्वित प्रतिक्रिया हेतु त्वरित प्रतिक्रिया दल का अभ्यास किया जाये।

vi. वन विभाग द्वारा वनाग्नि रोकथाम हेतु उपयोग होने वाले उपकरणों की प्रदर्शनी लगाते हुए समुदाय को उनके उपयोग की जानकारी साझा की जाये।

(12) ऊर्जा विभाग –

i. ऊर्जा विभाग द्वारा अपने समस्त पावर हाउस आदि पर सभी प्रकार के संभावित खतरों/आपदाओं का आंकलन किया जायेगा तथा इन खतरों/आपदाओं से बचाव हेतु समुचित कार्यवाही सुनिश्चिति की जायेगी।

ii. प्रत्येक पावर हाउस पर दिनांक 28 नवंबर को मॉक ड्रिल का आयोजन कराया जायेगा।

iii. मॉक ड्रिल में अग्निशमन विभाग; पुलिस तथा प्रशासन का सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

(13) पावर प्रोजेक्ट/विद्युत उत्पादन से सम्बन्धित प्रोजक्ट–

i. ऊर्जा विभाग तथा जिला प्रशासन के सहयोग से प्रत्येक पावर हाउस/विद्युत उत्पादन से सम्बन्धित परियोजनाओं पर सभी प्रकार के संभावित खतरों/ आपदाओं का आंकलन किया जायेगा तथा इन खतरों/आपदाओं से बचाव हेतु समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।

ii. इन सभी पर दिनांक 28 नवम्बर को मॉक ड्रिल का आयोजन किया जायेगा।

iii. मॉक ड्रिल में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन तथा अग्निशमन विभाग का सहयोग लिया जायेगा।

iv. मॉक ड्रिल में परियोजना से जुड़े सभी प्रकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को शामिल किया जायेगा।

v. भविष्य में परियोजना को और अधिक सुरक्षित बनाये जाने हेतु रणनीति बनायी जायेगी तथा भविष्य

vi. में इस कार्ययोजना को लागू किया जायेगा।

(14) शीतलहर से बचाव हेतु कराये जाने वाले कार्यक्रम–

चूँकि नवम्बर से अधिकांश जनपदों में शीतकाल आरम्भ हो जाता है, अतः शीतकाल के लिए विभिन्न विभागों यथा पी0डब्ल्यू0डी0/पी0एम0जी0एस0वाई0, विद्युत, पेयजल, चिकित्सा, राजस्व विभाग, कृषि, उद्यान, पशुपालन आदि के स्तर से की गयी तैयारियों की समीक्षा कर ली जाए तथा समीक्षा में पायी जाने वाली कमियों को दूर किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये। इस संबंध में यू0एस0डी0एम0ए0 के स्तर से पृथक से विस्तृत निर्देश जारी किया जाये।

(15) समन्वय एवं क्रियान्वयन सम्बन्धी निर्देश –

i. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/विशेष प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी) से अपेक्षा की जाती है कि अपने विभागाध्यक्ष के साथ औपचारिक बैठक करते हुए उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों तथा अपने विभाग से सम्बन्धित बिंदुओं पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु समुचित दिशा निर्देश जारी किया जाये।

ii. समस्त विभागाध्यक्षों से अपेक्षा की जाती है कि अपने विभागीय सचिवगणों से निर्देश प्राप्त करते हुए उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में अपने अधीन सभी कार्यालयों हेतु समुचित दिशा निर्देश जारी किया जाये।

iii. उपरोक्त दिशा निर्देश सुविधा की दृष्टि से तैयार किये गये हैं। विभागीय सचिवगण तथा विभागाध्यक्ष उपरोक्त बिंदुओं पर विचार करते हुए "आपदा प्रबन्धन दिवस" को और प्रभावी एवं उपयोगी तरीके से मनाये जाने हेतु अपने स्तर से अन्य आदेश भी जारी कर सकते हैं।

iv. समस्त विभागों से अपेक्षित है कि "आपदा प्रबन्धन दिवस" मनाये जाने हेतु अपनी विभागीय गतिविधियों हेतु कार्ययोजना तैयार करते हुए दिनांक 25 से 28 नवम्बर, के मध्य उपरोक्त कार्यक्रम आयोजित किया जाये। मुख्य कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 28 नवम्बर को कराया जाये।

v. उपरोक्त कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष 28 नवम्बर को मनाया जाना है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष भर हेतु तथा आगामी वर्षों हेतु कुछ गतिविधियां कराये जाने पर विचार किया जा सकता है।

vi. कार्यक्रमों में स्थानीय समुदाय, विद्यार्थियों, युवा समूहों, आपदा मित्रों, QRT तथा अन्य हितधारकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाये।

vii. समस्त मॉक ड्रिल एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्बन्धित विभागों के समन्वय से आयोजित किए जाये।

viii. समस्त विभागों से अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार कार्यक्रम के आयोजन से सम्बन्धित सूचनाऐं मेल के माध्यम से यू0एस0डी0एम0ए0 की मेल usdmauttarakhand@gmail.com पर प्रेषित किया जाये।

(16) कार्यक्रम कराये जाने के दौरान संज्ञान में आने वाली कमियों के निराकरण हेतु उपाय –

"आपदा प्रबन्धन दिवस" मनाये जाने के दौरान निश्चित रूप से विभागीय स्तर पर कुछ कमियां संज्ञान में आयेंगी तथा कुछ उपकरणों की व्यवस्था की जानी होगी। आपदा से राहत एवं बचाव हेतु सभी प्रकार की आवश्यक व्यवस्थाऐं तथा सभी आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था विभागों का दायित्व है, अतः सभी विभाग उपरोक्त के क्रम में संज्ञान में आने वाली कमियों का निराकरण विभागीय स्तर से कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(17) कार्यक्रम कराये जाने हेतु बजटीय व्यवस्था –

चूँकि आपदा से बचाव हेतु आवश्यक उपाय किया जाना हम सभी का दायित्व है। अतः "आपदा प्रबन्धन दिवस" मनाये जाने पर आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित

विभागों/जनपदों द्वारा अपने विभागीय मद से करायी जायेगी। यदि किसी विभाग विशेष में किसी भी प्रकार से बजट की व्यवस्था संभव नहीं हो पा रही है तो इस हेतु जिलाधिकारी से धनराशि की मांग की जा सकती है। जिलाधिकारी द्वारा उपरोक्त कार्यों हेतु एस0डी0आर0एफ0/एस0डी0एम0एफ0 के तैयारी एवं क्षमता विकास मद से धनराशि प्रदान की जा सकती है।

अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रत्येक वर्ष 28 नवम्बर को "आपदा प्रबन्धन दिवस" मनाये जाने हेतु उक्तानुसार दिये गये दिशानिर्देशानुसार समुचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally signed by
Anand Bardhan
Date: 30-10-2026
13:48:34

(आनन्द बर्द्धन)
मुख्य सचिव।

संख्या-983 /XVIII-B-1/2025-8(14)/2026(e-101545), तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. निजी सचिव, सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 आपदा प्रबन्धन मंत्री, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन/क्रियान्वयन), उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, देहरादून।
6. संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, देहरादून।
7. कमांडेन्ट/डाइरेक्टर जनरल, एस0डी0आर0फ/एन0डी0आर0फ0।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Vinod Kumar Suman
Date: 02-11-2026
13:31:30

(विनोद कुमार सुमन)
सचिव